



To,  
**The Addl. Chief Secretary (Energy)**  
**Government of Uttar Pradesh,**  
Bapu Bhavan, R.No 104,  
U.P Secretariat, Lucknow-226001

**Sub: Approval of Action plan and DPR of Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited (MVVNL) for the State of Uttar Pradesh under Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS).**

Sir,

1. This is to inform that Monitoring Committee for RDSS constituted under Chairmanship of Secretary (Power), Govt. of India, in its 6<sup>th</sup> meeting held on 04.03.2022, has approved the Action plan and Loss Reduction DPR of Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited (MVVNL) under Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) as per below mentioned details:
  - a) Results Evaluation Matrix for MVVNL as enclosed at **Annexure A** along with pre-qualifying criteria.
  - b) DPR for Smart metering works with total Project Cost of Rs. 5009.35 Crores with GBS of Rs 751.40 Crores including incentive for Phase-I as per details in **Annexure B**.
  - c) DPR for Infrastructure works – Loss reduction with total project cost of Rs. 4165.32 crores with GBS of Rs. 2499.19 crores as detailed in **Annexure C**.
  - d) PMA charges of Rs of 18.79 crores for smart metering works and Rs. 62.48 Crore for infrastructure works –Loss reduction with GBS of Rs. 11.27 Crores and Rs. 37.49 Crores respectively as detailed in **Annexure D**.

**2. Funding Pattern:**

- a. The funding Pattern for the State of Uttar Pradesh is a given below:

Item Description	GBS % (Max)
Prepaid Smart metering solution including at consumer, DT, and feeder level including integration of existing infrastructure	15% of the approved cost of metering including the operational cost, provided that it is not more than Rs. 900 per meter for consumer metering only
Distribution Infrastructure works	60% the approved cost of Distribution infrastructure works
PMA Charges for Metering and Infrastructure works	60% of the approved cost of PMA

- b. The project cost approved by the Monitoring Committee or actual cost incurred whichever is less, shall be the eligible cost for determining the grant under the scheme for Infrastructure works and PMA Components. Any cost overrun after approval of the project (by Monitoring Committee) due to any reason whatsoever shall not be eligible for any grant and shall be borne by the DISCOM/respective State Government.
- c. The release of GBS by Government of India will be subject to prescribed scheme guidelines and would be contingent to award of prepaid smart metering works & its satisfactory progress.



3. The terms and conditions of the sanction are as given below:

a) MVVNL to ensure implementation of the scheme in accordance with all the prescribed scheme guidelines including SBDs.

**b) Smart Metering works:**

- i. Funding under Metering component will be available only to Prepaid smart meters operating in prepayment mode for consumers, and in accordance with the uniform approach indicated by the Central Government, with implementation in TOTEX mode.
- ii. A feeder and DT level automated online energy accounting system shall be put in place.
- iii. All feeders are to be metered with communicable & AMI/AMR meters by 31st December 2022, and shall be integrated with the National Feeder Monitoring System (NFMS) proposed to be put in place shortly.
- iv. MVVNL to complete 100% DT metering in Phase-I areas by March 2023 and in remaining areas by December 2023 to facilitate energy accounting.
- v. Discoms while implementing the prepaid smart metering projects, shall ensure that the remotely readable metering at DT level; Consumer indexing; integration of feeder level data; and the consumer billing database under the AMI contracts are prioritised to be completed latest by March 2023.
- vi. Prepaid Smart Meters may be installed outside the consumer premises, may be pole mounted, ground mounted panels, incoming service cables that may be armoured etc.

**c) Infrastructure works & PMA Charges:**

- i. Agricultural Feeder segregation should be considered on priority under the loss reduction part of DPR.
- ii. All feeders segregated for Agriculture should be solarized under the PM- KUSUM scheme of MNRE or any other similar scheme of State Government. In this regard, UPPCL to submit road map for solarisation of agricultural feeders to the satisfaction of Government of India based on the technical feasibility report of POSOCO, in addition to already committed 75 MW under KUSUM A and 150 MW under KUSUM- C. Road map needs to be submitted before release of Phase II grant.
- iii. Discom to carry out feeder level analysis to identify high loss feeders for reduction of losses through appropriate measures proposed in the DPR as early as possible but within three months of sanction and details of such feeders to be included in the DPR.
- iv. PMA charges over and above the permitted amount shall be borne by the respective DISCOM / State government.
- v. Also, services of PMA shall be retained up to completion of the project, without any financial implications beyond that already provided.
- vi. MVVNL shall provide approval of Managing Director regarding justification of location and proper selection of site for replacement of LT line with armoured XLPE cable.

The detailed terms & conditions of sanction letter is enclosed as **Annexure E**.

**4. Result Evaluation Matrix and pre-qualifying criteria:**

a) The AT&C losses and ACS-ARR Gap trajectories approved by Monitoring Committee are as given below:

Parameter	Units	Max marks	Base Year	Baseline values	Targets			
					FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025
ACS-ARR Gap (Cash adjusted)	Rs./ kWh	35	FY20 [FY21]	1.35 [1.40]	1.41	1.04	0.73	0.34
ACS-ARR Gap (Subsidy received excluding UDAY grants and Regulatory income) *Only for tracking			FY20 [FY21]	0.29 [0.40]	0.42	0.26	0.22	0.00




AT&C loss	%	25	FY20 [FY21]	34.14% [33.81%]	31.76%	26.80%	21.08%	17.97%
-----------	---	----	----------------	--------------------	--------	--------	--------	--------

- b) Discom to mandatorily meet the pre-qualifying criteria and achieve the specified marks in the Evaluation Matrix based on which DPR for Modernisation & System Augmentation shall be sanctioned and grant for both loss reduction works (other than the advance for DPR for Loss Reduction) and for the Modernisation & System Augmentation works will be released.
- c) MVVNL to ensure timely adoption of all suitable measures to meet the prequalifying criteria and to score at least 60% marks on the agreed Result Evaluation Matrix.
- d) If by the end of year 2025-26, the DISCOM is not eligible for release of any grant, the initial advance of 10% of the grant component of the cost of DPR for Loss Reduction will have to be refunded by the DISCOM.

#### 5. Fund Management:

- a. The Discom shall ensure that funds released under the scheme are utilized for the purpose for which it is released and will not be diverted for any other purposes whatsoever. The grant release from Nodal Agencies to the DISCOMs shall be done through PFMS and the DISCOMs shall use PFMS for fund flows to the lowest level as specified by the Government of India's instructions on the subject under the scheme.
  - b. DISCOM shall submit utilization certificates (UC) for the funds released during the financial year in prescribed format latest by 30th April of succeeding year in addition to the UC along with every claim.
  - c. For release of funds under the Scheme, Discom has to ensure updation of baseline data, physical & financial progress, Quality Monitoring, Fund Management, Asset identification through Geo-tagging, outcomes and achievements for evaluation under Result Evaluation Framework, closure, etc on the digital platform to be developed by the Nodal Agencies.
  - d. For works other than metering works under Part A, counterpart funding will be provided by the DISCOM/ State Government. If DISCOM takes loan for counterpart funding, such loan will be taken from REC and PFC only. Further, counterpart funding from bilateral/multilateral funding agencies can also be leveraged for which the Government of India would extend benefits of reduced Government Guarantee fee.
  - e. In case loan component of the project cost is funded by the NBFCs under MoP, then in order to secure the loan, the existing TPA (Tri-partite Agreement) arrangement among Government of India, the State Government and the RBI shall be suitably amended to provide that the loan servicing payments in case of default can be recovered through RBI.
6. A Scheme Implementation Agreement will be signed between the Government of Uttar Pradesh, Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited (MVVNL) and Nodal Agency on behalf of Central Government within 30 days of issuance of sanction letter. Copy of approved agreement is enclosed as **Annexure-F**.
  7. It is requested to kindly acknowledge and accept the sanction letter as per the acceptance letter enclosed as **Annexure- G**.

Yours Sincerely,



(Valli Natrajan)  
Executive Director

Enclosed: As Above.

Copy to:

1. Managing Director, Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited, Uttar Pradesh.
2. ED (SOP), REC
3. Sr CPM, REC, RO- Lucknow, Uttar Pradesh.

## Annexure – A

**Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited**  
**Result Evaluation Framework**

**Financial Stability (60% weightage) | 65% weightage in 1<sup>st</sup> year**

S. No	Parameter	Units	Max marks	Base year	Baseline Values	Targets			
						FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025
1(a)	ACS-ARR Gap (cash adjusted)	Rs./ kWh	35	FY 20 [FY21]	1.35 [1.40]	1.41	1.04	0.73	0.34
1(b)	ACS-ARR Gap (subsidy received basis, excluding regulatory income & UDAY grants) *Only for tracking	Rs./ kWh		FY 20 [FY21]	0.29 [0.40]	0.42	0.26	0.22	0.00
2	AT&C loss	%	25	FY 20 [FY21]	34.14% [33.81%]	31.76%	26.60%	21.08%	17.97%
3	Liquidation of Outstanding/ Overdue Subsidy Payment by State Government	Rs. Cr	12.5	FY 21	978	885	782	685	587
4	Liquidation of Outstanding/ Overdue Government Dues	Rs. Cr	7.5	FY 21	1618	1618	1150	600	0
5	Takeover of Financial losses of baseyear by State Govt.	%	7.5	FY21			60% of FY22 loss	75% of FY23 loss	90% of FY24 loss
6	Implementation of Automatic pass through of Fuel Cost Adjustment (Quarterly)	Yes/ No	5	FY 21	NO	NO	Yes	Yes	Yes
7	No. of creditor days	Days Payable	2.5	FY 20 [FY21]	267 [271]	214	150	105	45
8	No. of debtor days	Days receivable	2.5	FY 20 [FY21]	604 [609]	605	450	150	45
9	Progress in putting Govt. Offices onsmart prepaid meters	%	2.5	FY-21	0%	0%	52%	100%	100%
	<b>S. Total</b>		<b>100</b>						



उत्तर प्रदेश सरकार

2023-2024 के व्यय

के

ब्यौरेवार अनुमान

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

(जैसे कि विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये)

फरवरी, 2023

5-2

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

( ₹ लाख में )

वार्षिक अंकड़े	अध-व्ययक अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	लेखा शीर्ष	अध-व्ययक अनुमान
2021-2022	2022-2023	2022-2023		2023-2024
<i>2401-फराल कृषि कर्म , 102-खाजानों की फराले , 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ</i>				
<b>0103- फूड एण्ड ड्रिन्क प्रोसेसिंग कोरपोरेशन (कृषि उत्पादन योजना) (के.60/ग.40-के.)</b>				
--	--	--	07 -मानदेय	176.55
--	--	--	27 -सब्सिडी	13012.22
--	--	--	42 -अन्य व्यय	472.90
--	--	--	44 -प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	23.72
--	--	--	58 -आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	407.81
--	--	--	योग : 0103	14093.20
8485.66	14249.39	14151.36	योग : 01	14093.20
<b>05- कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषकों के निजी नल कृषों को सिद्ध अपूर्ति हेतु उ.प्र.</b>				
<b>कृषि निगम को अनुदान</b>				
150000.00	150000.00	150000.00	27 -सब्सिडी	192000.00
<b>89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राजवांश</b>				
<b>8902- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन</b>				
--	108.34	108.34	07 -मानदेय	--
--	8669.05	8669.05	27 -सब्सिडी	--
--	148.13	124.43	42 -अन्य व्यय	--
--	60.92	60.92	44 -प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	--
--	252.84	252.84	58 -आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	--
--	9239.28	9215.58	योग : 8902	--
<b>8903- फूड एण्ड ड्रिन्क प्रोसेसिंग कोरपोरेशन (कृषि उत्पादन योजना)</b>				
--	--	--	07 -मानदेय	117.70
--	--	--	27 -सब्सिडी	8674.81
--	--	--	42 -अन्य व्यय	315.27
--	--	--	44 -प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15.82
--	--	--	58 -आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	271.87
--	--	--	योग : 8903	9395.47
--	9239.28	9215.58	योग : 89	9395.47
158485.66	173488.67	173366.94	योग : 102	215488.67



उत्तर प्रदेश सरकार

2023-2024 के व्यय

के

ब्यौरेवार अनुमान

ऊर्जा विभाग

(जैसे कि विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये)

फरवरी, 2023

5-1

ऊर्जा विभाग

( ₹ लाख में )

वास्तविक आँकड़े	आय-व्ययक अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	लेखा शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान
2021-2022	2022-2023	2022-2023		2023-2024
2071 - पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ				
01 - सिविल				
200 - अन्य पेंशन				
03- राज्य विद्युत परिषद के विघटन पूर्व कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक सुविधायें				
1509.46	370000.00	296000.00	33 - पेंशन/आनुतोषिक/अन्यसेवानिवृत्ति हितलाभ	400000.00
1509.46	370000.00	296000.00	योग : 200	400000.00
1509.46	370000.00	296000.00	योग : 01	400000.00
1509.46	370000.00	296000.00	योग : 2071	400000.00
2801 - बिजली				
05- संचरण एवं वितरण				
190- सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य, उपक्रमों को सहायता				
03- उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0				
0301- आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा पी.एफ.सी. एवं आर.ई.सी. से प्राप्त किये गये रु. 20,940 करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु अनुदान				
200000.00	200000.00	200000.00	20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200000.00
200000.00	200000.00	200000.00	योग : 190	200000.00
800 - अन्य व्यय				
04- उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. को क्षतिपूर्ति अनुदान				
1196566.34	1000000.00	1100000.00	27 - सस्सिडी	1100000.00
05- उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फंडिंग				
500000.00	500000.00	800772.00	20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	36270.00
37250.00	--	--	27 - सस्सिडी	--
537250.00	500000.00	800772.00	योग : 05	36270.00
06- सरकारी विभागों के दिनांक 31 मार्च, 2022 तक बकाया विद्युत बिलों की अदायगी हेतु उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 को अनुदान				
--	350000.00	350000.00	20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	300000.00
07- निजी नलकूप उपभोक्ताओं को दिनांक 01-01-2022 से टैरिफ के आधार पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने के फलस्वरूप 2021-2022 के चतुर्थ त्रैमास एवं 2022-2023 हेतु यू.पी.पी.सी.एल. को अनुदान				

5-1

ऊर्जा विभाग

( ₹ लाख में )

वास्तविक अंकड़े	आव-व्ययक अनुमान	पूर्ववर्ष अनुमान	लेखा शीर्ष	आव-व्ययक अनुमान
2021-2022	2022-2023	2022-2023		2023-2024
<i>2801-निजली, 05-संचालन एवं वितरण, 800-अन्य व्यय</i>				
			07- निजी नलकूप उपभोक्ताओं को दिनांक 01-01-2022 से टैरिफ के आधार पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने के फलस्वरूप 2021-2022 के नतुर्थ बैगस एवं 2022-2023 हेतु: य.पी.पी.सी.एल. को अनुदान	
--	--	125000.00	<b>27 - सस्मिडी</b>	--
			08- निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ सस्मिडी हेतु य.पी.पी.सी.एल.को अनुदान	
--	--	--	20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	150000.00
			09- रिटैग्ड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग	
--	--	--	20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	650000.00
			10- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध रागस्व परिपूर्ति अनुदान	
105000.00	210000.00	210000.00	<b>27 - सस्मिडी</b>	210000.00
			18- पारेषण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले अतिरिक्त ऋण की बचान सहित अदायगी	
3682.16	1219.82	1219.82	20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	--
			20- वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले अतिरिक्त ऋण की बचान सहित अदायगी	
4910.18	1568.03	1568.03	20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	--
1847408.68	2062787.85	2588559.85	योग: 800	2446270.00
2047408.68	2262787.85	2788559.85	योग: 05	2646270.00
2047408.68	2262787.85	2788559.85	योग: 2801	2646270.00



उत्तर प्रदेश सरकार

2023-2024 के लिये

अनुपूरक अनुदानों  
की  
मांगें

(नवम्बर, 2023)

(जैसा कि विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी)

## वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तावना टिप्पणी

किसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई धनराशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाने पर उस अतिरिक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि के लिये विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्तुतिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अभीष्ट है। व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिनके लिए मूल आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं होती। अनुपूरक अनुदान की मांग की उस समय भी आवश्यकता होती है, जब सम्बन्धित व्यय के लिए धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिए हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान-मण्डल के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो। ऐसी मांग "प्रतीक मांग" कहलाती है जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है।

2. वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अनुपूरक अनुदान की मांग में, अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, अनुपूरक अनुदान की मांग की धनराशि, जिसकी अब आवश्यकता है तथा उससे सम्बन्धित संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं। विनियोग लेखों के प्रयोजन के लिए लेखा शीर्षों के अनुसार सविस्तार विवरण भी अनुदानवार दिया गया है। अनुपूरक अनुदान की मांग मुख्यतया इसलिए की जा रही है कि आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेक्ष कम पड़ने की सम्भावना है। इनमें से कुछ नई मदों पर व्यय करने के लिए भी हैं जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान की मांग में "उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि" से स्वीकृत किये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, जिसका उल्लेख सम्बन्धित अनुदान के अन्तर्गत टिप्पणी में किया गया है। विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मांगों का विवरण अगले पृष्ठों पर अनुसूची में दिया गया है।

3. प्रस्तावित अनुपूरक मांग ₹ 2876067.38 लाख हैं, जिसमें राजस्व लेखा ₹ 1904639.11 लाख तथा पूंजी लेखा ₹ 971428.27 लाख है।

4. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(2) तथा 6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण पत्र भी इन मांगों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अग्रहायण 08, शक सवत, 1945

तदनुसार

29 नवम्बर, 2023

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव, वित्त

एवं वित्त आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004  
की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण

अधिनियम की धारा 6(2) में निम्नवत् व्यवस्था है -

"वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बन्धित प्राप्तियों और व्यय के रुख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान सभलत के दोनों सदनों के सम्मक्ष रखेगा । पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय ।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय वर्ष 2023-2024 की प्रथम छमाही के आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2023-2024 की प्रथम छमाही के लिये पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ।

वर्ष 2023-2024 की प्रथम छमाही हेतु पुनर्विलोकन रिपोर्ट -

( ₹ करोड़ में)

मद	बजट अनुमान 2023-2024	महालेखाकार द्वारा पुस्तकित आँकड़े 2023-2024 (30.09.2023 तक)	बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) गैर उधार प्राप्तियों			
1 राज्य का स्वयं का कर	262634.00	89705.54	34.16
2 करेतर राजस्व	23790.77	4818.82	20.25
3 केन्द्रीय करों में राज्यांश	183237.59	81702.01	44.59
4 केन्द्र सरकार से अनुदान	101203.30	16964.70	16.76
कुल राजस्व प्राप्तियों (योग - 1, 2, 3 एवं 4)	<b>570865.66</b>	<b>193191.07</b>	<b>33.84</b>
5 उधार एवं अधिम की वसूली	3312.18	554.42	16.74
कुल गैर उधार प्राप्तियों (योग - 1, 2, 3, 4 एवं 5)	<b>574177.84</b>	<b>193745.49</b>	<b>33.74</b>
(ब) व्यय			
6 राजस्व व्यय	502354.01	187777.89	37.38
7 पूंजीगत परिव्यय	147492.29	42304.69	28.68
8 उधार एवं अधिम	9214.70	1390.03	15.08
9 ऋणों का प्रतिदान	31181.43	8440.20	27.07
कुल व्यय (योग - 6, 7, 8 एवं 9)	<b>690242.43</b>	<b>239912.82</b>	<b>34.76</b>
(स) राजस्व बचत	<b>68511.65</b>	<b>5413.17</b>	-----
(द) राजकोषीय घाटा	<b>116064.59</b>	<b>46167.33</b>	-----

**उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004**  
**की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण**

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) में निम्नलिखित प्रावधान है -

6(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिये व्यय की तत्सम कमी और / या राजस्व के समवर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी ।

प्रस्तुत अनुपूरक माँगों का कुल आकार ₹ 2876067.38 लाख है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं हेतु प्राप्त होने वाले केन्द्रांश की धनराशि ₹ 138697.01 लाख तथा समायोजन की धनराशि ₹ 50010.00 लाख को घटाने के उपरान्त समेकित निधि से होने वाले शुद्ध व्यय भार की धनराशि ₹ 2687360.37 लाख है । इस राशि का वित्त पोषण कर एवं करेतर राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुसूक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि ( ₹ लाख में )			पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
002	आवास विभाग	मुख्य मंत्री				1-2
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	लघु उद्योग मंत्री	38142.00	...		3
005	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री	144.93	...		4
006	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री	100000.00	...		5-6
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	औद्योगिक विकास मंत्री	510.00	...		7-9
008	उद्योग विभाग (मृद्गण तथा लेखन सामग्री)	औद्योगिक विकास मंत्री	1082.12	...		10
009	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री	51887.00	...		11-14
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	मुख्य मंत्री	1300.00	...		15
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	कृषि मंत्री	646264.00	...		16-17
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	ग्राम्य विकास मंत्री	363277.00	...	3.51	18-19
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	मुख्य मंत्री	5402.00	...		20-21
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	पशुधन मंत्री	2398.38	...		22-23
016	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	दुग्ध विकास मंत्री	9868.99	...		24-25
			97983.42	...		
			25510.00	...		
			1500.00	...		
			2050.00	...		
			5000.00	...		

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुसूक्त मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि ( ₹ लाख में )			पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	...	
1	2	3	4	5	6	
017	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	मत्स्य मंत्री	राजस्व	2520.00	...	26-27
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	मुख्य मंत्री	राजस्व	1100.00	...	28-29
022	खेल विभाग	मुख्य मंत्री	पूँजी	...	980.53	30-31
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	गन्ना एवं चीनी मंत्री	राजस्व	5402.00	...	32-33
026	गृह विभाग (पुलिस)	मुख्य मंत्री	राजस्व	55000.00	...	34-44
030	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	मुख्य मंत्री	पूँजी	17575.19	...	45
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	चिकित्सा शिक्षा मंत्री	राजस्व	29064.91	...	46-50
033	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	मुख्य मंत्री	पूँजी	65036.91	...	51-52
034	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	1075.00	...	53-54
036	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	राजस्व	1105.22	...	55-56
037	नगर विकास विभाग	नगर विकास मंत्री	पूँजी	500.00	...	57-60
038	नागरिक उद्यमन विभाग	मुख्य मंत्री	पूँजी	2127.72	...	61
				101207.00	...	
				5000.00	...	
				90.00	...	

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुसूचक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि ( ₹ लाख में )			पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
040	नियोजन विभाग	मुख्य मंत्री				62-63
042	न्याय विभाग	मुख्य मंत्री	पूँजी 41500.00	...	...	64-66
043	परिवहन विभाग	मुख्य मंत्री	पूँजी 44.50	...	...	67-69
044	पर्यटन विभाग	पर्यटन मंत्री	राजस्व 8800.00	...	...	70-71
046	प्रशासनिक सुधार विभाग	मुख्य मंत्री	पूँजी 11000.00	...	...	72
047	प्राविधिक शिक्षा विभाग	प्राविधिक शिक्षा मंत्री	राजस्व 435.97	...	...	73-74
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री	पूँजी 300.00	...	...	75
051	राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	मुख्य मंत्री	राजस्व 200.00	85436.00	...	77-78
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	मुख्य मंत्री	राजस्व 20667.12	...	...	79-80
055	लोक निर्माण विभाग (भवन)	लोक निर्माण मंत्री	...	110.33	...	81-82
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	लोक निर्माण मंत्री	...	...	...	83-84
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	लोक निर्माण मंत्री	पूँजी 3940.50	...	...	85-87
			राजस्व 350001.00	...	...	...
			पूँजी 75000.00	...	...	...

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुसूक्त मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि ( ₹ लाख में )		पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6
060	वन विभाग	मुख्य मंत्री			88-89
061	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	वित्त मंत्री	5500.00	...	90-91
063	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	वित्त मंत्री	27.00	...	92
065	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	वित्त मंत्री			93-94
067	विधान परिषद् सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री	6458.97	...	95-96
068	विधान सभा सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री	487.63	...	97-98
069	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	मुख्य मंत्री	475.54	...	99
071	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	मुख्य मंत्री	9251.76	...	100-101
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	मुख्य मंत्री	1634.12	...	102-104
073	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	उच्च शिक्षा मंत्री	7864.19	...	105-108
075	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् )	मुख्य मंत्री	41217.77	...	109-110
			77.50	...	...
			22206.17	...	...
			2686.31	...	...

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुसूचक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि ( ₹ लाख में )			पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	...	
1	2	3	4	5	6	
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री	राजस्व	3022.75	...	111-112
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	पूँजी	8448.06	...	113
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछडा वर्ग कल्याण)	मुख्य मंत्री	राजस्व	33215.00	...	114-116
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	मुख्य मंत्री	पूँजी	1400.00	...	117-123
082	सतर्कता विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	7646.35	...	124-125
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	मुख्य मंत्री	राजस्व	61235.79	...	126-134
084	सामान्य प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	143055.40	...	135-136
085	सार्वजनिक उद्यम विभाग	सार्वजनिक उद्यम मंत्री	पूँजी	1006.70	...	137
086	सूचना विभाग	मुख्य मंत्री	पूँजी	20.00	...	138-139
089	राज्य कर विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	49659.00	...	140-141
091	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	मुख्य मंत्री	पूँजी	4.00	...	142
092	संस्कृति विभाग	संस्कृति मंत्री	राजस्व	3500.00	...	143-145
			पूँजी	11287.19	...	143-145
			पूँजी	3000.00	...	...

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुसूचक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि ( ₹ लाख में )			पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	...	
1	2	3	4	5	6	
093	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण राजस्व	3000.00	...	146-147	
		मंत्री	20000.00	...		
		पूँजी				
		योग : राजस्व	1819199.60			85439.51
		पूँजी	970337.41			1090.86
		योग :	2789537.01			86530.37
		कुल योग :				2876067.38

( ₹ लाख में )

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
राजस्व लेखा		
क - सामान्य सेवायें		
(क) राज्य के अंग		
2011 - ससद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	68	162.50
योग : 2011		162.50
2013 - मंत्रि परिषद्	78	30000.00
योग : 2013		30000.00
2014 - न्याय प्रशासन	42	35759.50
योग : 2014		35759.50
योग : (क)		65922.00
(ख) राज कोषीय सेवायें		
(II). सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण		
2029 - भू-राजस्व	52	667.12
योग : 2029		667.12
(III). सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण		
2030 - स्टाम्प पंजीकरण	91	3500.00
योग : 2030		3500.00
(III). वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण		
2040 - विक्री, व्यापार आदि पर कर	89	352.00
योग : 2040		352.00
(III). वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण		
2041 - वाहन कर	43	82.00
योग : 2041		82.00
योग : (ख)		4601.12
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा		
2049 - ब्याज अदायगियां	51	85436.00
योग : 2049		85436.00
योग : (ग)		85436.00
(घ) प्रशासनिक सेवायें		

अनुष्क अनुदान में धनराशि का शीर्षवार ववरण

( ₹ लाख में )

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
2053 - जिला प्रशासन	30	50.00
	84	100.00
	योग : 2053	150.00
2055 - पुलिस	26	16336.02
	योग : 2055	16336.02
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें	26	265.00
	37	1200.00
	46	186.80
	82	250.99
	योग : 2070	1902.79
	योग : (घ)	18388.81
(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवायें		
2071 - पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ	72	243.32
	योग : 2071	243.32
	योग : (ङ)	243.32
	योग : क	174591.25
ख - सामाजिक सेवायें		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति		
2202 - सामान्य शिक्षा	71	26832.00
	72	7435.30
	73	77.50
	81	7.50
	83	3615.00
	योग : 2202	37967.30
2203 - तकनीकी शिक्षा	47	435.97
	योग : 2203	435.97
2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें	22	5402.00
	72	185.57
	योग : 2204	5587.57
2205 - कला एवं संस्कृति	92	11287.19

अनुसूचक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

( ₹ लाख में )

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 2205	11287.19
	योग : (क)	55278.03
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण		
2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	31	65036.91
	34	1105.22
	36	500.00
	83	67.92
	योग : 2210	66710.05
	योग : (ख)	66710.05
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास		
2215 - जल पूर्ति तथा सफाई	37	1.00
	93	3000.00
	योग : 2215	3001.00
2217 - शहरी विकास	37	100006.00
	61	61638.85
	योग : 2217	161644.85
	योग : (ग)	164645.85
(घ) सूचना तथा प्रसारण		
2220 - सूचना तथा प्रचार	07	50.00
	86	49659.00
	योग : 2220	49709.00
	योग : (घ)	49709.00
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	79	33115.00
	83	1050.00
	योग : 2225	34165.00
	योग : (ङ)	34165.00
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण		
2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास	76	3022.75
	योग : 2230	3022.75
	योग : (च)	3022.75

अनुसूचक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

( ₹ लाख में )

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण		
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	52	20000.00
	79	100.00
योग : 2235		20100.00
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	26	974.17
	51	200.00
योग : 2245		1174.17
योग : (छ)		21274.17
(ज) अन्य		
2250 - अन्य सामाजिक सेवायें	84	2.00
		2.00
योग : 2250		2.00
योग : (ज)		2.00
योग : ख		394806.85
ग - आर्थिक सेवायें		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप		
2401 - फसल कृषि कर्म	10	5402.00
	11	200.00
योग : 2401		5602.00
2403 - पशु पालन		
	15	25510.00
	81	1020.00
	83	2039.98
योग : 2403		28569.98
2404 - डेरी विकास		
	16	2050.00
योग : 2404		2050.00
2405 - मछली पालन		
	17	2520.00
योग : 2405		2520.00
2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		
	11	2198.38
योग : 2415		2198.38
2425 - सहकारिता		
	18	1100.00

अनुसूचक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

( ₹ लाख में )

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 2425	1100.00
	योग : (क)	42040.36
(ख) ग्राम विकास		
2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	13	9868.99
	81	11066.54
	योग : 2501	20935.53
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
	13	3.51
	14	97983.42
	81	8545.95
	83	54462.89
	योग : 2515	160995.77
	योग : (ख)	181931.30
(ङ) उर्जा		
2801 - बिजली	09	646264.00
	योग : 2801	646264.00
	योग : (ङ)	646264.00
(च) उद्योग तथा खनिज		
2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग	03	2000.00
	05	144.93
	06	100000.00
	योग : 2851	102144.93
2852 - उद्योग	07	1032.12
	योग : 2852	1032.12
	योग : (च)	103177.05
(छ) परिवहन		
3054 - सड़क तथा सेतु	58	350001.00
	योग : 3054	350001.00
3055 - सड़क परिवहन	43	3027.30
	योग : 3055	3027.30
	योग : (छ)	353028.30
(ज) सामान्य आर्थिक सेवायें		

अनुसूचक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

( ₹ लाख में )

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
3452 - पर्यटन	44	8800.00
योग : 3452		8800.00
योग : (अ)		8800.00
योग : ग -		1335241.01
राजस्व लेखा		1904639.11
पूँजीगत लेखा		
क - सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
4055 - पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	26	24183.75
योग : 4055		24183.75
4058 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	08	1300.00
योग : 4058		1300.00
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय		
	40	4000.00
	42	19.50
	43	2.00
	65	500.00
	68	240.59
योग : 4059		4762.09
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
	26	4881.16
	63	27.00
	67	487.63
	68	234.95
	85	20.00
योग : 4070		5650.74
4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	65	5958.97
योग : 4075		5958.97
योग : क -		41855.55
ख - सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा		
4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	42	25.00
	71	1634.12

अनुष्क अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

( ₹ लाख में )

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	72	41217.77
	73	22206.17
	75	2686.31
	76	8448.06
	81	646.35
	83	38893.90
	92	3000.00
योग : 4202		118757.68
योग : (क)		118757.68
(ख) स्वास्थ्य तथा कल्याण पर पूँजीगत लेखा		
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	33	1075.00
	36	2127.72
योग : 4210		3202.72
योग : (ख)		3202.72
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा		
4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	81	7000.00
	83	70000.00
	93	20000.00
योग : 4215		97000.00
4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय	02	5000.00
	55	110.33
	89	4.00
योग : 4216		5114.33
4217 - शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	02	10001.00
योग : 4217		10001.00
योग : (ग)		112115.33
(घ) समाज कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा		
4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	49	300.00
	79	1400.00
योग : 4235		1700.00
योग : (घ)		1700.00
(ज) अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		

अनुसूचक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

( ₹ लाख में )

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	69	9251.76
	84	1006.70
योग : 4250		10258.46
योग : (अ)		10258.46
योग : ख -		246034.19
ग - आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा		
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	15	1500.00
योग : 4403		1500.00
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय		
	60	5500.00
योग : 4406		5500.00
योग : (क)		7000.00
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा		
4575 - अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय		
	40	37500.00
	83	22500.00
योग : 4575		60000.00
योग : (ग)		60000.00
(ङ) उर्जा का पूंजीगत लेखा		
4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	09	363277.00
योग : 4801		363277.00
योग : (ङ)		363277.00
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा		
4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		
	06	510.00
योग : 4851		510.00
योग : (च)		510.00
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		
5053 - नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय		
	38	90.00
योग : 5053		90.00
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	07	51887.00
	57	3940.50
	58	75000.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

( ₹ लाख में )

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	83	11661.50
योग : 5054		142489.00
5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	43	10051.00
योग : 5055		10051.00
योग : (ख)		152630.00
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	44	11000.00
योग : 5452		11000.00
योग : (ज)		11000.00
योग : ग -		594417.00
पूंजीगत लेखा		882306.74
ड - लोक ऋण		
6003 - राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	18	980.53
योग : 6003		980.53
ड - लोक ऋण		980.53
च - कर्ज तथा उधार		
6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज	37	5000.00
योग : 6215		5000.00
6217 - शहरी विकास के लिये कर्ज	02	23141.00
योग : 6217		23141.00
6404 - डेरी विकास के लिए कर्ज	16	5000.00
योग : 6404		5000.00
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	24	55000.00
योग : 6860		55000.00
च - कर्ज तथा उधार		88141.00
योग : समेकित निधि		2876067.38

अनुदान संख्या 002

आवास विभाग

[वर्ष 2023-2024 के ब्यौरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-15 तक देखिये]

		( ₹ लाख में )	
	राजस्व	पूँजी	योग
I. मूल अनुदान	44004.60	653853.40	697858.00
मतदेय	...	...	...
भारित	...	38142.00	38142.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	44004.60	691995.40	736000.00
मतदेय	...	...	...
भारित	...	...	...

II. लेखा शीर्षक अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है।

( ₹ लाख में )

धनराशि

पूँजी लेखा---

4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

800 - अ न य य

04 - स्टेट कैपिटल रिजल डेवलपमेंट अथारिटी तथा अन्य रिजल डेवलपमेंट अथारिटी के गठन हेतु

30 - निवेश/व्रण

5000.00

योग : 04

5000.00

योग : 800

5000.00

योग : 80

5000.00

योग : 4216

5000.00

4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

60 - अन्य शहरी विकास योजनायें

051 - निर्माण

05 - वाराणसी एवं गोरखपुर में एक्रीकृत मण्डलीय कार्यालय का निर्माण

24 - वृहत निर्माण कार्य

10000.00

योग : 05

10000.00

योग : 051

10000.00

800 - अन्य व्यय

09 - प्रदेश के विकास प्राधिकरणों / उ 0 प्र 0 आवास एवं विकास परिषद में कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण

24 - बृहत् निर्माण कार्य

धनराशि
1.00
योग : 09
1.00
योग : 800
1.00
योग : 60
10001.00
योग : 4217
10001.00

6217 - शहरी विकास के लिये कर्ज

60 - अन्य शहरी विकास योजनाएं

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

05 - लखनऊ एवं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु प्राप्त वाह्य ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु

30 - निवेश/ऋण

23141.00
योग : 05
23141.00
योग : 190
23141.00
योग : 60
23141.00
योग : 6217
23141.00
योग : पूंजी लेखा
38142.00
योग : अनुपूरक
38142.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट ऑथारिटी तथा अन्य रीजनल डेवलपमेंट ऑथारिटी के गठन हेतु सीड कैपिटल के लिये रुपये 5000000000 की आवश्यकता।
2. वाराणसी एवं गोरखपुर में एकीकृत मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण के लिये सीड कैपिटल हेतु रुपये 1000000000 की आवश्यकता।
3. प्रदेश के विकास प्राधिकरणों / उ.प्र. आवास एवं विकास प्राधिकरणों में कन्वेंशन सेन्टर के निर्माण हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता। आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में ही रही बचतों से वहन की जायेगी।
4. लखनऊ एवं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु प्राप्त वाह्य ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु रुपये 2314100000 की आवश्यकता।

अनुदान संख्या 003

उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

[वर्ष 2023-2024 के ब्यौरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-13 तक देखिये]

		( ₹ लाख में )	
	राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	104725.09	87071.75	191796.84
मतदेय			
भारित	6.00	...	6.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	2000.00	...	2000.00
मतदेय			
भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	106725.09	87071.75	193796.84
मतदेय			
भारित	6.00	...	6.00

II. लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है।

( ₹ लाख में )

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग

102 - लघु उद्योग

14 - विध्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

42 - अन्य व्यय

2000.00

योग : 14

2000.00

योग : 102

2000.00

योग : 2851

2000.00

योग : राजस्व लेखा

2000.00

योग : अनुपूरक

2000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. विध्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हेतु रुपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान संख्या 005

उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

[वर्ष 2023-2024 के ब्यौरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-5 तक देखिये]

		( ₹ लाख में )	
	राजस्व	पूँजी	योग
I. मूल अनुदान	14264.82	...	14264.82
मतदेय	...	...	...
भारित	144.93	...	144.93
मतदेय	...	...	...
भारित	14409.75	...	14409.75
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	...	...	...

II. लेखा शीर्षक अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान

को सम्मिलित किया गया है।

( ₹ लाख में )

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग

105 - खादी ग्रामोद्योग

29 - खादी एवं ग्रामोद्योग विकास तथा सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

144.93

योग : 29

144.93

योग : 105

144.93

योग : 2851

144.93

योग : राजस्व लेखा

144.93

योग : अनुपूरक

144.93

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के क्रय किये गये सोलार चर्खों के लंबित बिलों के भुगतान हेतु रुपये 14493000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान संख्या 006

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

[वर्ष 2023-2024 के ब्यौरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खाण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-6 तक देखिये]

	( ₹लाख में )		
	राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	76039.68	1500.00	77539.68
मतदेय	...	...	...
भारित	100000.00	510.00	100510.00
मतदेय	...	...	...
भारित	176039.68	2010.00	178049.68
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है।

( ₹लाख में )

राजस्व लेखा-----

2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग

108 - बिजली करघा उद्योग

04 - पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति

27 - सखिडी

100000.00

योग : 04

100000.00

योग : 108

100000.00

योग : 2851

100000.00

योग : राजस्व लेखा

100000.00

पूँजी लेखा-----

4851 - ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

103 - हथकरघा उद्योग

03 - पी0 एम 0 मित्रा योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ-हरदोई में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान (पीएम मित्र) पार्क की स्थापना

30 - निवेश/ऋण

510.00

योग : 03

510.00

योग : 103

510.00

योग : 4851

510.00

---

---

धनराशि

510.00

योग : पूँजी लेखा

100510.00

योग : अनुपूरक

---

---

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 100000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. पी. एम. मित्र योजनांतर्गत जनपद लाखनऊ-हरदोई में पी. एम. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान (पी. एम. मित्र) पार्क की स्थापना हेतु रुपये 510000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

[वर्ष 2023-2024 के ब्यौरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-16 तक देखिये]

		( ₹ लाख में )	
	राजस्व	पूँजी	योग
I. मूल अनुदान	1075958.93	982695.17	2058654.10
मतदेय	...	...	...
भारित	1082.12	51887.00	52969.12
मतदेय	...	...	...
भारित	1077041.05	1034582.17	2111623.22
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	...	...	...

II. लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है।

( ₹ लाख में )

राजस्व लेखा-----

2220 - सूचना तथा प्रचार

60 - अन्य

800 - अन्य व्यय

03 - व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग / प्रस्तुतीकरण, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार

42 - अन्य व्यय

50.00

योग : 03

50.00

योग : 800

50.00

योग : 60

50.00

योग : 2220

50.00

2852 - उद्योग

07 - दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग

202 - इलेक्ट्रानिक्स

03 - शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

17.42

04 - स्माल सेल तथा भूमि की स्थापना के लिए साफ्टवेयर प्रणाली का विकास

42 - अन्य व्यय

12.70

	धनराशि
योग : 04	12.70
10 - प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं / सुविधाओं के विकास हेतु तकनीकी जनशक्ति / पीएमयू का गठन 42 - अन्य व्यय	1.00
योग : 10	1.00
11 - विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में 01 WI-FI कनेक्शन एवं 05 FTTH कनेक्शन हेतु प रिचालन व्ययों (OPEX) की व्यवस्था 42 - अन्य व्यय	1000.00
योग : 11	1000.00
योग : 202	1031.12
योग : 07	1031.12
80 - सामान्य 800 - अन्य व्यय	
16 - उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति 16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00
योग : 16	1.00
योग : 800	1.00
योग : 80	1.00
योग : 2852	1032.12
योग : राजस्व लेखा	1082.12
पूँजी लेखा----	
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03 - राज्य राजमार्ग 337 - सड़क निर्माण कार्य	
17 - गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जी.एस.टी. के अतिरिक्त प्रतिशत व्ययभार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु 24 - वृहत् निर्माण कार्य	51887.00
योग : 17	51887.00
योग : 337	51887.00
योग : 03	51887.00
योग : 5054	51887.00

---

---

धनराशि

51887.00

योग : पूँजी लेखा

---

---

52969.12

योग : अनुपूरक

---

---

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग/प्रस्तुतीकरण, प्रचार एवं प्रसार हेतु रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण कराये जाने हेतु रुपये 1742000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. स्माल सेल तथा भूमि के ऊपर टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिये साप्वेयर प्रणाली के विकास हेतु रुपये 1270000 की आवश्यकता ।
4. प्रदेश में टूससंचार सेवा/सुविधाओं के विकास हेतु तकनीकी जमशक्ति पी.एम.यू. के गठन हेतु रुपये 100000 की आवश्यकता ।
5. ग्राम पंचायत में वाई-फाई कनेक्शन एवं एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन के लिये परिचालन व्ययों की व्यवस्था हेतु रुपये 100000000 की आवश्यकता ।
6. उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति के क्रियान्वयन हेतु रुपये 100000 की व्यवस्था। आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी।
7. गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) में जी.एस.टी. के अतिरिक्त 06 प्रतिशत व्यय भार की विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 5188700000 की आवश्यकता ।

**अनुदान संख्या 008**  
उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)

[वर्ष 2023-2024 के ब्यौरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-9 तक देखिये]

		( ₹ लाख में )	
	राजस्व	पूँजी	योग
I. मूल अनुदान	24833.70	1080.95	25914.65
मतदेय			
भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है			
मतदेय	...	1300.00	1300.00
भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	24833.70	2380.95	27214.65
मतदेय			
भारित	...	...	...

II. लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है।

( ₹ लाख में )

धनराशि

पूँजी लेखा----

**4058** - लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

103 - सरकारी मुद्रणालय

03 - सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

1300.00

योग : 03

1300.00

योग : 103

1300.00

योग : 4058

1300.00

योग : पूँजी लेखा

1300.00

योग : अनुपूरक

1300.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सरकारी मुद्रणालयों में मशीनों तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय करने हेतु रुपये 1300000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

[वर्ष 2023-2024 के ब्यौचा अंगुमन और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के एष संख्या 1-14 तक देखिये]

		( ₹ लाख में )	
	राजस्व	दुंबी	योग
I.मूल अनुदान			
	3051171.36	1645160.72	4696332.08
	289506.43	440583.56	730089.99
अनुपूरक अनुदान गिनाकी अम आसकककत है			
	646264.00	363277.00	1009541.00
	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	3697435.36	2008437.72	5705873.08
	289506.43	440583.56	730089.99

II. लोडा गीम विलके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है।

( ₹ लाख में )

राजस्व लोडा-----

2801 - बिजली

05 - संकष एल विलरष

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य, उपकरणों को सहायता

03 - उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0

0301 - अद्यतनित भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा पी.एल.सी. एवं अर.ई.सी. से प्राप्त किये गये ₹. 20,940 करोड के ङण के पूरकन की अदावगी हेतु अनुदान

20 - संख्या अनुदान - सामान्य (रि. वेतन)

28800.00

योग : 0301

28800.00

800 - अन्य व्यय

04 - उ.प. पावर कार्पोरेशन लि. को धरिभूति अनुदान

27 - सस्किडी

187464.00

08 - निजी सलक्षण उपभोक्ताओं को टेरिफ सस्किडी हेतु वृ. पी. सी. एल. को अनुदान

20 - संख्या अनुदान - सामान्य (रि. वेतन)

90000.00

योग : 08

90000.00

09 - रिविड योजना के अन्तर्गत विधु विलरष सम्मनियों की सस्किडी की फण्डिंग

धनराशि	
20 - सहायक अ्युटन - सामान्य (रैंक वेतन)	320000.00
योग : 09	320000.00
10 - उच्च प्रदेश पाका कारपोरेशन लि0 को विपुल कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध राजस्व कटिपूर्ति अनुदान	
27 - राशिदेई	20000.00
योग : 10	20000.00
योग : 800	617464.00
योग : 05	646264.00
योग : 2801	646264.00
योग : राजस्व लेखा	646264.00

ईजी लेखा-----

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

02 - ताम विपुल शक्ति उत्पादन

190 - सर्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

14 - उच्च प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

1409 - ओबरा सीं तापीय परियोजना 2x660 मे. वा. की स्थापना हेतु अंशपूर्वी विनियोजन

30 - विभाजन

10000.00

योग : 1409

10000.00

1410 - 2x660 मेगावाट ज्वलराष्ट्र तापीय विपुल परियोजना के निर्माण हेतु अंशपूर्वी विनियोजन

30 - विभाजन

7500.00

योग : 1410

7500.00

1419 - पाटणपुर, कात्पुर में मेसर्स निक्सेली लिमिटेड कारपोरेशन लि0 के साथ संयुक्त उद्योग में 2000 मे0 वा0 की तापीय परियोजना की स्थापना

30 - विभाजन

15000.00

योग : 1419

15000.00

योग : 14

32500.00

योग : 190

32500.00

योग : 02

32500.00

05 - संचरण तथा निरण

पृष्ठ संख्या 12

		धनराशि
190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य एगजन्टों में निवेश		
06 - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11 वीं, 12 वीं एवं नवीन) तथा सौभाग्य योजना के अन्तर्गत एच.जी.एच.टी. एवं सैट की भांति		
लेजर सेस एवं राज्य के अन्य करो के भुगतान की पूर्तिपूर्ति		
30 - निवेश/अप		14800.00
योग : 06		
11 - प्रदेश के सभी जनपदों में वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण संबंधी कार्यों हेतु		14800.00
30 - निवेश/अप		150000.00
योग : 11		
13 - प्रदेश के नगर निगमीय क्षेत्र में वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण संबंधी कार्यों हेतु		102886.00
30 - निवेश/अप		102886.00
योग : 13		
21 - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में शिवायाजी आवास निर्माण की परियोजनाओं में बाह्य विद्युत्करण के कार्य हेतु		
30 - निवेश/अप		1991.00
योग : 21		
89 - केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का संगत राशियाँ		
8907 - रानिपो बन्नी हेतु कराये जाने वाले कार्य हेतु असावृत्ती (राशियाँ)		
30 - निवेश/अप		51100.00
योग : 8907		
8908 - स्मार्ट मीटरिंग हेतु य.0 फी0 सी0 एल 0 को असावृत्ती (राशियाँ)		
30 - निवेश/अप		10000.00
योग : 8908		
योग : 89		
योग : 190		
योग : 05		
योग : 4801		363277.00
योग : पूर्वी लेखा		
योग : अनुसूचक		1009541.00

अनुसूचक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. आन्ध्रप्रदेश भारत योजनान्तर्गत ग्राम कृषि के पुनर्भूतल हेतु रुपये 28800000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. को जून 2023-24 के लिये प्रतिकृति अनुदान हेतु रुपये 130000000000 की आवश्यकता ।
3. उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. को जून 2020-21 के लिये देय राजस्व प्रतिकृति अनुदान के संश्लेष आदेशीय भुगतान हेतु रुपये 57464000000 की आवश्यकता ।
4. निजी नलरूप उपयोक्ताओं को बीजकोष पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान करने हेतु रुपये 90000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. डिस्कवर्स की हानियों की कवरेज हेतु रुपये 320000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. को विशुद्ध कर के संश्लेष अनुदान हेतु रुपये 20000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. ओकरा सी तारीय विपुल परियोजना की स्थापना हेतु रुपये 10000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. नवलरपुर तारीय विपुल परियोजना की स्थापना के लिये उत्पादन मिलाव को अंशुजी हेतु रुपये 7500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. षटगपुर तारीय विपुल परियोजना हेतु रुपये 15000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. दीनदरगत उपा-खस ग्राम ल्योति योजना एवं सौधरय योजनान्तर्गत एम.जी.ए.टी. एवं डैट की भांति लेख सैम एवं राज्य के अन्य करो के भुगतान हेतु रुपये 14800000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. प्रदेश के सभी जनसदों में किरण प्रकली के सुदृढीकरण हेतु रुपये 15000000000 की आवश्यकता ।
12. प्रदेश के तारीय क्षेत्रों तथा नोएडा एवं मऊ में किरण प्रकली के सुदृढीकरण हेतु रुपये 102886000000 की आवश्यकता ।
13. इधरामंडी अवास योजना (शहरी) में किरणयती अवास निर्माण की परियोजनाओं में षाढर विपुलकरण करव हेतु रुपये 1981000000 की आवश्यकता ।
14. रिडेन्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम अलर्गत हल्लियों में कमी हेतु अंशुजी के रूप में रुपये 51100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
15. रिडेन्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम अलर्गत स्पार्ट मीटरिंग के कार्यों हेतु रुपये 10000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।